सरल क्रमांक.....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 0771-2424017

निविदा दस्तावेज

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों हेतु धान भूसा क्रय

निविदा फार्म विक्रय करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 07.11.2012 कार्यालयीन समय तक
निविदा स्वीकार करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 08.11.2012 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खुलने का दिनांक एवं समय	दिनांक 08.11.2012 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खोलने का स्थान	जिला विपणन अधिकारी छ.ग. राज्य सह.विप. संघ मर्या. जिला .....

निविदा फार्म का मूल्य
1500/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)
खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

फार्म नंबर.....

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री .....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1500.00/– (वाणिज्यिक कर सहित) (अक्षरी एक हजार पांच सौ रूपये मात्र)
6.	निविदा फार्म क्रय का विवरण	मनी रसीद नं. ..... दिनांक.....राशि..... जिला विपणन कार्यालय का नाम.....
7.	निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 07.11.2012 कार्यालयीन समय तक
8.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 08.11.2012 को दोपहर 2.00 बजे तक।
9.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 08.11.2012 को अपरान्ह 3.00 बजे तक। स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला कार्यालय.....(छ.ग.)

टिप्पणी

1. यह निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 14 तक है।

4. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउन लोड कर नहीं भरे जावेंगे, सिर्फ जिला विपणन कार्यालय से कय निविदा दस्तावेज में ही निविदा भरकर प्रस्तुत की जावें।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....

जारी दिनांक .....

——00——

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषकों से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान उपार्जन हेतु जिले में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न हैः :–
   (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें तथा निविदा की शर्ते खरीफ विपणन वर्ष 2012–13
   (II) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   (III) परिशिष्ट '3' डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु निविदा दरे (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   (IV) परिशिष्ट '4' निविदा अनुबंध का प्रारूप।
   (V) परिशिष्ट '5' जिलेवार कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची।

निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें धान भूसा हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अंको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।

2. निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित जिलें के जिला विपणन कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

शुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला विपणन कार्यालय में खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:–

1. विपणन संघ के जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा :–

1.1 जिस जिले में डनेज हेतु धान भूसा निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा। एक जिले से क्रय निविदा प्रपत्र पर दूसरे जिले हेतु निविदा नहीं भरी जा सकेगी।

1.2 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–

1. निर्धारित अमानत राशि का छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छ0ग0 को देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करें।
2. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत दो वर्षों की आयकर विवरण की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यापित सत्यप्रतिलिपि।
3. वाणिज्यकर/विक्रय कर के वैद्य पंजीयन क्रमांक एवं वैद्यता तिथि की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि।
4. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।

1.3 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। संलग्न आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.4 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

1.5 निविदा के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश :–

2.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म एक सेट (2 पुस्तिका का सेट) मूल्य **1500**/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) होगा, जो संबंधित कार्यालय में नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

2.2 **दरें** :–निविदा फार्म में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु दरें अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निविदा फार्म में ओव्हर रायटिंग अथवा काट–छांट न करें ऐसी निविदा निरस्ती योग्य होंगी। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

2.3 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.4 जिस जिलें से निविदा फार्म क्रय किया जावेगा उसी जिलें में निविदा फार्म भरकर प्रस्तुत करना होगा।

2.5 किसी एक जिलें से क्रय निविदा फार्म दूसरे जिलें में मान्य नहीं होगा। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस जिलें सें निविदा फार्म क्रय करें उसी जिलें में भरकर प्रस्तुत करें।

––00––

–: निविदा की शर्तें :–

(खरीफ विपणन वर्ष 2012–13)

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. तकनीकी लिफाफा में वांछा किए गए निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जावेगा।
3. भूसा आपूर्ति की अवधि निविदा स्वीकृति के दिनांक से 31/10/2013 तक होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा आपूर्ति के 15 दिवस के भीतर 90 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
5. निविदाकर्ता को जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा 24 घंटे के भीतर संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार के देयकों से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता के देयकों से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।
6. निविदाकर्ता द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।
7. धान भूसा सूखा होना अनिवार्य है। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर ट्रक/मेटाडोर वापस किया जावेगा। जिस हेतु कोई व्यय विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
8. धान भूसा की दर प्रति टन (लोडिंग अनलोडिंग सहित) गंतव्य तक पहुंचाकर भरा जावे।
9. धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा।
10. नियमानुसार निविदाकार के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
11. निविदाकार को निविदा के साथ प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 50000/– रूपये (पचास हजार रूपयें मात्र) अमानत राशि किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ कार्यालय..... को देय है, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, यदि एक ही निविदा फार्म में जिले के एक से अधिक संग्रहण केन्द्र के लिए निविदा भरी जाती है तो प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
13. संग्रहण केन्द्रों की सूची एवं संग्रहण केन्द्रवार आवश्यकता संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

14. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा।

15. प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक हों, अव्यवहारिक दरों वाली निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. न्यूनतम दर वाले निविदाकार (एल–1) से गठित कमेटी के समक्ष निगोशियेशन किया जा सकेगा।

17. निविदाकार यदि किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी एवं संबंधित निविदाकर्ता को दो वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कराया जा सकेगा।

18. धान भूसा विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र के साथ–साथ भारतीय खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर स्वीकृत निविदा दर पर निविदाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।

19. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी से अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के समय अमानत राशि के अलावा 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपयें मात्र) सुरक्षानिधि के रूप में निविदाकार को जमा कराया जाना अनिवार्य होगा । इस प्रकार जमा अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि निविदाकार को अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षो पर बंधनकारी होगा।

21. सफल निविदाकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणनसंघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि रूपये 1010/– होगी।

––00––

परिशिष्ट '2'

छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
जिला कार्यालय.....

भाग – ''क''
(तकनीकी लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

निविदाकर्ता का वर्तमान का फोटो स्वप्रमाणित

1.	निविदाकार का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)		
2.	फर्म का नाम एवं पता		
3.	निविदाकार/फर्म का दूरभाष क./मोबाईल नं.		
4.	वाणिज्य कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि की सत्यापित प्रति (संलग्न करें)	1. केन्द्रीय	
		2. राज्य	
5.	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत दो वर्षो का आयकर विवरण की सत्यापित प्रति (संलग्न करें)		
6.	अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण	1. ड्राफ्ट क्रमांक	
		2. दिनांक	
		3. बैंक का नाम	
		4. राशि रूपये	
7.	निविदा फार्म के मूल्य का विवरण	मनी रसीद नं. .....दिनांक.....	
		राशि 1500/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) जिला विपणन कार्यालय का नाम.....	
8.	अन्य विवरण यदि कोई हो तो लिखें।		

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

परिशिष्ट '3'

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... **दिनांक.....**

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

प्रेषक,

..... (निविदाकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)
.....
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, द्वारा वांछित संग्रहण केन्द्र के लिए धान भूसा प्रदाय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

जिले का नाम :– .....

(जिस जिले के संग्रहण केन्द्र हेतु निविदा भरी जा रही है)

क्र.	संग्रहण केन्द्र का नाम	दर प्रति मेट्रिक टन संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाकर	
		अंको में	शब्दों में
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट '4'

–: संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप :–

(50/–रूपये के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक..... दिन ..... को यह अनुबंध पत्र छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला विपणन अधिकारी..... जिला .....(छ0ग0) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष क्रमांक–1 तथा मेसर्स..... पक्ष क्रमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है।

1. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में धान भंडारण हेतु डनेज के लिए सूखा धान भूसा की दर प्रति टन गन्तव्य तक पहुॅचाकर रूपये..... शब्दों में .....स्वीकृत किया गया है।
2. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अनुबंधित अवधि दिनांक 01/11/2012 से 31/10/2013 तक स्वीकृत दर पर भूसा आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है।
3. यह कि संविदा की अवधि आपसी सहमति पर बढ़ाई जा सकेगी।
4. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा भूसा आपूर्ति क 15 दिवस के भीतर पक्ष क्रमांक–01 द्वारा स्वीकृत दर पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को पक्ष क्रमांक–01 की ओर से जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा को 24 घंटे के भीतर संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली पक्ष क्रमांक–02 से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्रमांक–02 से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी। उसे भविष्य के लिए दो वर्षों के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।
7. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को सूखा धान भूसा आपूर्ति करना होगा। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर पक्ष क्रमांक–01 द्वारा अस्वीकार किया जावेगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर देयक प्रस्तुत किया जावेगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा नियमानुसार पक्ष क्रमांक–02 के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
10. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को निविदा के साथ 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपयें मात्र) अमानत राशि किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ जिला कार्यालय ..... को देय है, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक–पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
11. यह कि निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
12. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों की सूची एवं संग्रहण केन्द्रवार आवश्यकता की जानकारी पक्ष क्रमांक–02 को समय–समय पर उपलब्ध कराया जावेगा।

13. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं है।

14. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को निविदा की सभी शर्तें मान्य होंगी। यदि पक्ष क्रमांक–02 किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी।

15. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा धान भूसा की आपूर्ति विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र के अलावा भारतीय खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों में भी उक्त स्वीकृत दरों पर करनी होगी।

16. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा सुरक्षानिधि के रूप में 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपयें मात्र) जमा कराना होगा। जमा सुरक्षानिधि अनुबंधित अवधि पश्चात् पक्ष क्रमांक–02 को कार्य के संतुष्टि के पश्चात् वापस देय होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

17. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

18. इस अनुबंध को निष्पादित करते समय सुरक्षानिधि के रूप में 50,000/– रू. (पचास हजार रूपयें मात्र) की राशि का विवरण .....
.....

हस्ताक्षर.....	**हस्ताक्षर**.....
पदनाम	**पदनाम** .....
सील	**सील** .....

(पक्ष क्रमांक–01)	**(पक्ष क्रमांक–02)**
साक्षी : पक्ष कं. 01 का	**साक्षी : पक्ष कं. 02 का**
हस्ताक्षर.....	**हस्ताक्षर**.....
नाम व पता	**नाम व पता** .....
.....	.....
.....	.....

परिशिष्ट–5

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में जिलेवार विपणन संघ के कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र.	जिला का नाम	भंडारण केंद्र का नाम
1	2	4
1	रायपुर (5)	धरसीवा
		तिल्दा
		लखौली (ए+बी)
		अभनपुर
		जौंदा (राजिम)
2	बालौदाबाजार (4)	अर्जुनी (बलौदाबाजार)
		कसडोल
		भांटापारा
		भटगांव
3	महासमुंद (5)	महासमुंद
		बागबहरा
		पिथौरा
		बसना
		सरायपाली
4	धमतरी (5)	चिटौद
		नगरी सिहावा
		भाटागांव (कुरूद)
		भखारा
		भोयना

5	दुर्ग (4)	जेवरा–सिरसा
		सेलुद फड़
		कौड़िया
		करंजा भिलाई
6	बालोद (3)	जगतरा फड़
		मालीघोरी
		फुण्डाभाठा
7	बेमेतरा (1)	बीजाभांटा एं+बी
8	राजनांदगांव (6)	सिंघोला
		तिलई
		मदुराकुही
		ठेलकाडीह
		बांधाबांजार
		नागरकोहरा
9	कवर्धा (1)	बाजार चारभाठा
10	बिलासपुर (6)	भरनीभाठा
		सेमरताल
		बिल्हा
		मोपका
		मस्तुरी
		पेन्ड्रारोड
11	मुंगेली (2)	गिदपुरी (मुंगेली)
		लोरमी
12	कोरबा (2)	उरगा(डोंगरीभाठा)
		किसान राईस मिल कटघोरा

13	जांजगीर (6)	मिल प्रागण जांजगीर
		शा.भूमि अकलतरा
		मंडी प्रांगण चांपा
		मंडी प्रांगण सक्ति
		शा.भूमि डभरा
		बोड़ा सागर
14	रायगढ़ (4)	मेडिकल कां.ग्रा. लोहरसिंग
		बरमकेला
		मंडी प्रांगण खरसिया
		हरदी(सारंगढ)
15	जशपुर (1)	केराकछार (पत्थलगांव)
16	सरगुजा (2)	अम्बिकापुर
		सीतापुर
17	सूरजपूर (1)	सूरजपूर
18	कांकेर (3)	कांकेर
		लखनपुरी
		भानुप्रतापपुर (गोदाम)
19	जगदलपुर (1)	बिरिंगपाल (जगदलपुर)
20	कोंडागांव (1)	कोंडागांव
21	दंतेवाड़ा (1)	गीदम